अति तत्काल

संख्या आर-11016/2/2015-पी.एण्ड.सी.
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 17 सितम्बर, 2020

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए अगस्त, 2020 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **अगस्त, 2020** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

जसबीर तिवारी

(जसबीर तिवारी)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष नं0 23381233

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिमंडल के सभी सदस्य
2. पी.आई.बी./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली ।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

उपभोक्ता मामले विभाग

अगस्त 2020 माह का मासिक सार

1. अगस्त 2020 माह के दौरान किए गए महत्वपूर्ण नीति निर्णय:

1.1 अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए संसद के सदनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने के लिए सूचना भेजी गई।

1.2 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के सरलीकरण तथा डि-क्रिमिनिलाइजेशन के लिए प्रावधानों की समीक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियों और सुझावों की मांग की गई है।

1.3 पीएसएफ के तहत दालों और प्याजों का बफर स्टॉक से निपटान, अधिप्राप्ति के साथ सेना को सप्लाई की स्थिति, पीएसएफ संचालन के खातों के बंदोबस्त की समीक्षा की गई है।

1.4 6 राष्ट्रीय परीक्षणशाला की प्रयोगशालाओं में देश में खिलौनों के परीक्षण की सुविधा भी शामिल की गई हैं। भारतीय मानक ब्यूरो, राष्ट्रीय परीक्षणशाला की प्रयोगशालाओं के प्रयोग को प्राथमिकता देगा और पाइप से पेय जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए देश में विभिन्न जिलों से नमूने लिए जाएंगे।

2. माह के दौरान मुख्य उपलब्धियां

2.1 नेफेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रभावी बाजार हस्तक्षेप के लिए बफर के निर्माण हेतु अगस्त, 2020 के अंत तक मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत रबी 2020 फसल से लगभग 0.95 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद की गई।

2.2 कोविड-19 द्वारा हुई आर्थिक क्षति के कारण गरीबों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के लिए कोविड-19 –के प्रति आर्थिक प्रतिक्रिया के भाग के रूप में और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-I) पैकेज के तहत 3 माह (अप्रैल से जून 2020 तक) के लिए एनएफएसए लाभार्थियों के लिए प्रत्येक परिवार को एक किग्रा दाल के प्रावधान के संबंध में, 5.82 लाख मीट्रिक टन दालों के आबंटन में से 5.83 लाख मीट्रिक टन दालें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रेषित की गई जिसमें से 5.80 मीट्रिक टन दाल उन्हें प्राप्त हुई और 5.50 लाख मीट्रिक टन दालें 55.02 करोड़ अंतिम लाभार्थियों को वितरित की गई।

2.3 इसके अतिरिक्त, अप्रैल से जून, 2020 तक की प्रारंभिक अवधि से आगे नवंबर, 2020 के अंत तक बढ़ाई गई पीएमजीकेएवाई (II) के भाग के रूप में प्रतिमाह प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 1 किग्रा साबुत चने के नि:शुल्क वितरण के संबंध में, 9.70 लाख मीट्रिक टन दालों के आबंटन में से 4.22 लाख मीट्रिक टन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रेषित की गई जिसमें से उन्हें 3.27 लाख मीट्रिक टन प्राप्त हुई और 1.11 लाख मीट्रिक टन अंतिम लाभार्थियों को वितरित की गई।

2.4 इसके अतिरिक्त, अगस्त, 2020 के अंत तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवर न किए गए या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राशन कार्ड के बिना फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के परिवारों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार के बफर स्टॉक से 1 किग्रा. साबुत चना के प्रावधान के संबंध में

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लगभग 27010.36 मीट्रिक टन (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के अनुरोध के अनुसार समयोजित) साबुत चना प्रेषित किया गया जिसमें से 26615.44 मीट्रिक टन (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुरोध के अनुसार समयोजित) प्राप्त हुआ और 1632.44 मीट्रिक टन उन्होंने वितरित किया।

2.5 माननीय मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण ने व्यापार को सुकर बनाने के लिए दिनांक 21.08.2020 को ज्वैलरो के पंजीकरण और पुनर्नवीकरण की ऑनलाइन प्रणाली और एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्र की मान्यता के नवीकरण की ऑनलाइन प्रणाली का आरम्भ किया है।

2.6 डी.पी.आई.आई.टी. ने दिनांक 01 सितम्बर 2020 से बी.आई.एस. के अनिवार्य प्रमाणन के तहत खिलौने को शामिल करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया है। खिलौने उद्योग को उनकी चिंताओं को व्यक्त करने और उद्योग के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बी.आई.एस प्रमाणन हेतु बी.आई.एस द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2020 और 20 अगस्त 2020 को वेबिनार का आयोजन किया गया इसके अतिरिक्त बी.आई.एस. प्रमाणन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, खिलौने की सुरक्षा के लिए उत्पाद मैनुअल को बी.आई.एस. और उद्योग संगठनों को शामिल कर बनाए गए एक कार्य समूह द्वारा तैयार किया गया।

2.7 कोविड-19 के संबंध में सशक्त समूह-3 के अनुरोध के आधार पर, भारतीय मानक आई.एस. 17423:2020 के अनुसार कोविड-19 के लिए कवरआल्स के प्रमाणन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

2.8 डी.पी.आई.आई. टी ने आईएस 9139:1979 आघातवर्ध्य लोहा के टुकड़े और दिनांक 13/08/2020 के (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश को भारतीय मानक ब्यूरो (गुणवत्ता मूल्यांकन) विनियमन, 2019 के स्कीम-I के अनुसार अधिसूचित किया गया है।

3. माह के दौरान आयोजित की गई महत्वपूर्ण बैठक:

3.1 राष्ट्रीय परीक्षणशाला (एन.टी.एच.) और भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ने संयुक्त बैठक आयोजित की और बी.आई.एस प्रयोगशाला के अलावा एन.टी.एच. प्रयोगशाला को चिन्हित किया है, जो कि एन.ए.बी.एल. से प्रत्यायित है और बी.आई.एस. से मान्यता प्राप्त है ताकि 42 अनिवार्य क्षेत्रों और आई.एस. मानक और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पर आधारित खिलौना में प्राप्त औद्योगिक नमूनों के परीक्षण का कार्य किया जाए।

3.2 माह के दौरान पी.एस.एफ. के तहत बफर के प्रबंधन पर एक साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

3.3 दालों के बफर स्टॉक की वस्तुस्थिति, दिनांक 31.08.2020 के बाद उड़द के आयात को बढ़ाने के प्रस्ताव और आलू की कीमतों की समीक्षा के लिए दिनांक 04.08.2020 को सचिवों की समिति की बैठक आयोजित की गई।

3.4 माह के दौरान आवश्यक वस्तु की कीमतों की पुनरीक्षा के लिए सचिव (उ.मा.) की अध्यक्षता में एक आई.एम.सी. बैठक का आयोजन किया गया है।

3.5 दिनांक 24 अगस्त, 2020 को आयोजित राज्य जल यूटिलिटी/जल बोर्ड/नगर निगम की बैठक में, बी.आई.एस. अधिकारियों ने जल यूटिलिटी को पाइप से पेयजल की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के संबंध में मानक के मसौदे का विवरण दिया है और उनके फीडबैक और टिप्पणियों को रिकार्ड किया गया।

3.6 आवेदकों द्वारा बी.आई.एस. को दिए गए नमूनों में व्याप्त खामियों को संबोधित करने के लिए कवरऑल आवेदकों के साथ दिनांक 21 अगस्त, 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया ताकि लाइसेंसों को अनुमोदित होने में हुए अपरिहार्य विलंबों को कम किया जा सके।